



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 239]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 13, 2018/आषाढ़ 22, 1940

No. 239]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 13, 2018/ASHADHA 22, 1940

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2018

सं.17015/1/2017-आरआई सैल.—भारत सरकार सफाई कर्मचारियों और मैनुअल स्केवेंजर्स की विकास संबंधी आवश्यकताओं और विशेष रूप से वैकल्पिक व्यावसायों में उनका पुनर्वास करने के प्रति प्रतिबद्ध रही है। आयोग के इष्टतम कार्यकरण और लक्ष्य समूह के कल्याण तथा विकास के लिए वांछित लक्ष्यों को पूरा करने की दृष्टि से, भारत सरकार ने यह संकल्प किया है कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अब से निम्नलिखित संरचना के साथ कार्य करेगा :—

- (i) एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच अन्य सदस्य (एक महिला सदस्य सहित)।
- (ii) अध्यक्ष का स्तर राज्य मंत्री के रैंक का होगा और उपाध्यक्ष तथा पांच अन्य सदस्यों का रैंक भारत सरकार के सचिव का होगा।

2. यह भी संकल्प किया जाता है कि यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या यदि अध्यक्ष किसी कारण से अनुपस्थित होता है या अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होता है, तो उसके कर्तव्यों का निर्वहन, नए अध्यक्ष द्वारा पद का कार्यभार ग्रहण करने तक या मौजूदा अध्यक्ष द्वारा अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने तक, जैसी भी स्थिति हो, उपाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

3. आयोग के विचारार्थ विषय वही होंगे जैसाकि दिनांक 02.03.2009 के संकल्प सं.17015/17/2008-आरआईसी के तहत अधिसूचित किया गया है। आयोग हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 31(1) में यथा उल्लिखित कार्यों का निष्पादन करता रहेगा। आयोग की संरचना, शक्तियां, प्रक्रियात्मक मामले और वार्षिक रिपोर्ट के बारे में उपबंध दिनांक 09.09.2004 के संकल्प सं.17015/18/2003-एससीडी-VI के पैरा 3 और 5-7 के तहत अभिशासित होंगे।

रश्मि चौधरी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT**(Department of Social Justice and Empowerment)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th July, 2018

No. 17015/1/2017-RI Cell.—The Government of India has been seized of the developmental needs and rehabilitation of the Safai Karamcharis and Manual Scavengers, in particular, in alternate occupations. In order to optimize functioning of the Commission and for fulfilling desired objectives of welfare and development of the target group, the Government of India has resolved that the National Commission for Safai Karamcharis shall henceforth function with the following Constitution –

- (i) a Chairperson, a Vice-Chairperson and five other Members (including one lady Member)
- (ii) the Chairperson shall be in the rank of Minister of State and the Vice-Chairperson and five other Members shall be in the rank of the Secretary to the Government of India.

2. It is also resolved that if the office of the Chairperson becomes vacant or if the Chairperson is for any reason, absent or unable to discharge the duties of his or her office, those duties shall, until the new Chairperson assumes office or the existing Chairperson resumes his office, as the case may be, be discharged by the Vice-Chairperson.

3. The terms of reference of the Commission will continue to be the same as notified in the Resolution No. 17015/17/2008-RIC, dated 02.03.2009. The Commission will continue to perform the functions as mentioned under Section 31 (1) of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013. The provisions regarding its composition, power, procedural matters and Annual Report will continue to be governed by Paras 3 and 5-7 of the Resolution No. 17015/18/2003-SCD-VI, dated 09.09.2004.

RASHMI CHOWDHARY, Jt. Secy.